

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 424 / 2020-21



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

नवीन केरकेट्टा

पुष्पा केरकेट्टा

- विक्रेता

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
12.08.21	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक नवीन केरकेट्टा पिता स्व० नोतरोत केरकेट्टा ग्राम-पाण्डु, पो०-बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने पुष्पा केरकेट्टा पति श्री संजय किरण केरकेट्टा ग्राम-पाण्डु, पो०-पाण्डु, थाना-मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="207 698 1334 788"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पाण्डु</td> <td>248</td> <td>49</td> <td>1796</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0420431972 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 503 दिनांक 28.06.21 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं० 398 दिनांक 17.06.2005 द्वारा क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम डिम्बु पाहन वैगरह हैं। पंजी II के अनुसार नवीन केरकेट्टा के नाम भूमि का 5.00 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 5.00 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 14228.00(चौदह हजार दो सौ अठाईस) रू० विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.80 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण नवीन केरकेट्टा पिता स्व० नोतरोत केरकेट्टा को पुष्पा केरकेट्टा पति श्री संजय किरण केरकेट्टा के साथ ग्राम पाण्डु के खाता सं० 49 खेसरा संख्या 1796 कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 14228.00(चौदह हजार दो सौ अठाईस) रू० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	पाण्डु	248	49	1796	0.20	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
पाण्डु	248	49	1796	0.20								